न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 31/2014

बनाम

वादीया :-	प्रतिवादीगण :-
1. हवाखातुन पत्नी महमद हुसैन कौम व्यापारी मुसलमान निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0	1. चम्पालाल पुत्र धन्नाराम जी जाति-कुमावत, निवासी-निमाज तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.17/02/2014

उपस्थितः. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

दिनॉक: 06/06/2015

-:: निर्णय ::-

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-निमाज-द्वितीय, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा खसरा नम्बर 1715/1 रकबा 4 बीघा 18 बीस्वा आई हुई हैं। इसके समर्थन में जमाबंदी संवत 2069 से 2072 की दावा के साथ पेश है जो दावा का भाग माना जावें। वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 1715/1 रकबा 4 बीघा 18 बीस्वा का नक्शा ट्रेस दावा के साथ पेश हैं जो दावा का भाग माना जावें। वादीया अपने खातेदारी के कब्जा काश्त सुदा खेत का उपभोग व उपयोग बतौर खातेदार काश्तकार के करती है तथा अपना निवास हेतु पक्का मकान इसी भूमि में बनाया हुआ हैं एवं भूमि संचाई हेतु वादीया द्वारा ट्युबवैल खौदा हुआ हैं जो विद्युत सम्बंध ट्युबवैल पर ले रखा है एवं विद्युत मोटर ट्युबवैल पर लगा रखी है जिसके जरिए अपने खातेदारी की कब्जा सुदा एवं काश्त सुदा भुमि में फसल बौ कर सुचाई करती है। एवं पानी का एक पक्का हौज इसी भूमि में बनाया हुआ है जो उपयोग उपभोग कर रही हैं । तथा वादीया के मकान मे विद्युत संबध लिया हुआ है एवं मय परिवार निवास करती हैं। वादीया अपनी भूमि में स्थित बाडा में बकरीया रखती है एवं इस भूमि में वादीया के पैड आदि आये हुए है। वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि में चारो तरफ बाड की हुई हैं। तथा पश्चिमी दिशा में आम सड़क आई हुई हैं। तथा वादीया के भूमि का निकाल इसी तरफ आया हुआ हैं। वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि के उतरी तरफ का पडौसी प्रतिवादी है। जो बिना किसी आधार के टन्टा पिसाद कर वादीया के खातेदारी की कब्जे काश्त सुदा भूमि से बेदखल कर कब्जा करना चाहता है। तथा वादीया द्वारा अपने खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि का उपयोग कर रहा हैं उसमें रुकावट दखलन्दाजी करने पर आमादा हैं। तथा वादीया के खातेदारी की भूमि में उतरी तरफ, का पडौस प्रतिवादी का है जो वादीया को बिना किसी आधार बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा हैं। तथा मौके की स्थिति में रद्दो बदल कर वादीया को परेशान करने पर आमादा है, वादीया बुढी व बेवा औरत है। जबकि प्रतिवादी हर प्रकार से कानून को हाथ में लेकर वादीया को बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी को इस तरह का कृत्य करने का कोई विधिक नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दिनांक 13.02.14 को वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि से बेदखल करने की धमकी बमुकाम निमाज में दी हैं। प्रतिवादी के खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि में कोई अधिकार व हिस्सा नहीं हैं। वादीया को अपने खातेदारी के कब्जा काश्तसुदा पर काश्त करने रहवास करने व अपने बकरीयो को चरा कर पालन करने तथा वृक्षों की देखभाल करने उनका उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार हैं। इस प्रकार प्रतिवादी के विरुद्ध यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं। बिनाय दिनांक 13.02.14 को ग्राम निमाज में प्रतिवादी द्वारा वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि में रोक–टोक करने व बेदखल करने की धमकी देने पर एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी देने पर बमुकाम निमाज मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादीया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से जबाब पेश किया गया, जो सामिल पत्रावली हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी का कथन हैं कि उनके खातेदारी में दखल नहीं करते हैं। माठ खन्दक बारे में विवाद हैं। चूँकि वादीया राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से रोकना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज–द्धितीय, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा खसरा नम्बर 1715/1 रकबा 4 बीघा 18 बीस्वा में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर –निमाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०**

वादीया :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. हवाखातुन पत्नी महमद हुसैन कौम व्यापारी मुसलमान निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज०		1. चम्पालाल पुत्र धन्नाराम जी जाति कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु०न० :रा०वा० स०:31/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहस वादीया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज–द्वितीय, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादीया के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा खसरा नम्बर 1715/1 रकबा 4 बीघा 18 बीस्वा में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें । बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

[मोहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)]

मोहर

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	01 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान:–	03.00	मिजान:–	01 – 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner